

शासकीय पॉलीटेक्निक नारायणपुर (छ.ग.)

काष्ठागार डिपो एजुकेशन हब गरांजी नारायणपुर (छ.ग.)

प्रवेश प्रक्रिया

प्रथम चरण - व्यापम द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा पी.पी.टी. (पी पॉलीटेक्निक टेस्ट) में प्राप्त रैंक के आधार पर एवं कक्षा 10 वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर नारायणपुर जिला एवं बस्तर संभाग के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रवेश।

द्वितीय चरण - शेष रिक्त सीटों पर सम्पूर्ण छ.ग. राज्य के अभ्यर्थियों को पी.पी.टी. में प्राप्तकों के आधार पर।

उपलब्ध सुविधाएँ

- ✓ 50 सीटर कन्या छात्रावास
- ✓ सुव्यवस्थित प्रयोगशालाएँ
- ✓ सुव्यवस्थित कक्षाएँ
- ✓ सुव्यवस्थित ग्रंथालय
- ✓ वाई-फाई जोन/फ्री इंटरनेट की सुविधा
- ✓ पी.एस.सी. द्वारा चयनित व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन
- ✓ विशेष कौचिंग क्लासेस
- ✓ औद्योगिक/शैक्षणिक भ्रमण
- ✓ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष क्लासेस
- ✓ संभागीय स्तरीय एवं राजस्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता
- ✓ रोजगार/स्वरोजगार हेतु उचित मार्गदर्शन

रोजगार के अवसर

- RAILWAY / NMDC/ISRO/BSNL/NTPC/SAIL/BHEL
- CSPDCL/CREDA/COMPUTER OPREATER/ATL/ LAB Tec.

उच्च शिक्षा के अवसर

लेटरेल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश।

त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

कम्प्यूटर साइंस	- 32 सीट
इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली.	- 32 सीट
इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी	- 32 सीट

विद्यार्थियों को वित्तीय एवं अन्य सहायताएँ

1. सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मेरिट स्कालरशिप एवं मेरिट-कम मीन्स 600/- प्रतिमाह;
2. ST/SC विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी, ड्राईंग सामग्री, पुस्तकें एवं विशेष कोचिंग;
3. ST/SC विद्यार्थियों को रु. 230/- एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को रु. 190/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति की पात्रता;
4. ST/SC विद्यार्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 2.50 लाख तक है, उन्हें शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) में पूर्ण छूट ;
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 1.00 लाख या उससे कम है, शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट ;
6. बी.पी.एल कार्डधारी विद्यार्थी को रु. 500.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है ;
7. 'ट्यूशन फी डेवर' योजना के अंतर्गत ब्रांचवार प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर प्रवेशित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क देय नहीं है। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक है ;
8. छात्राओं के शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट ;
9. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना;
 - बस्तर एवं सरगुजा संभाग के मूल निवासी विद्यार्थियों को अधिकतम ब्याज रहित शिक्षा ऋण 4.00 लाख जिनके परिवार की आय 2.00 लाख से कम हो।
 - अन्य संभागों के अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके पालकों की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख या उससे कम है उन्हें 1% ब्याज दर पर अधिकतम राशि रु. 4.00 लाख का ऋण प्राप्त कर सकता है।